FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

(नियम 28)

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

लय...

...............ब्राऊदेवी...............बनाम...............रामपाल वगैरह...............

की किस्म...............रा० प्रा० प०...............

की संख्या...............123/2014...............वर्ष...............2014...............

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
1/10/14	प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 R.T. Act के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 26/11/14 को पेश हो।	
26/11/14	वकील प्रार्थी हाजिर आये। अप्रार्थी सं 1 के फौत हो जाने से मूलवाद में उसकी उत्तराधिकारी गोदावरी पत्नि रामपाल को प्रतिवादी (अप्रार्थी) पक्षकार बनाये गये हैं जो इस प्रार्थना-पत्र में भी अप्रार्थी पक्षकार बनाया जाता है। अप्रार्थी सं. 2 का सम्मन स्वयं से तामील शुदा पत्रावली पर उपलब्ध है जो बाद तामील गैर-हाजिर रहे हैं उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी गोदावरी हेतु दिनांक 8/1/15 को पेश हो।	

बहिस्सा बराबर-बराबर कब्जा कास्त व खातेदारी अधिकार

Scanned by CamScanner

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
10.4.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 7.7.17....को प्रस्तुत करें। e
18.8.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 19..1...18...को प्रस्तुत करें।
19.1.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 19..3..18...को प्रस्तुत करें। e
20.3.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता दि. 17, 18, 19-3-18 को अवकाश होने के कारण पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 14.5.18...को प्रस्तुत करें। e
22-5-18	पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में अटल सेवा केन्द्र फरड़ोद में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी नं. 01 राजपाल के इस्तगासे पर तामील कुलदीप ने दि. 22.11.14 को रिपोर्ट अंकित की है कि राजपाल अप्रार्थी नं. 01 फौत हो गया है। व प्रार्थी ने निर्धारित अवधि में अप्रार्थी नं. 1 राजपाल के स्थान पर वारिसान की सूचना पेश नहीं की है जिस के कारण वाद नहीं चल सकता है। अप्रार्थी नं. 1 के फौत होने के कारण प्रार्थना पत्र अबेट हो गया है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली बैफैसल दुरुस्त होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

Scanned by CamScanner